



क्षेत्रीय कार्यालय
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016

Phone & Fax No. 0755-2466392, Website – www.mppcb.nic.in

पुराने वाहनों के विक्रय संबंधी निविदा सूचना

निम्न पुराने वाहन जहां हैं जैसा है और जिस हालत में है के आधार पर विक्रय के लिये सीलबंद निविदायें निर्धारित निविदा प्रारूप क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल द्वारा आमंत्रित की जाती है :-

क्र.	वाहन पंजीयन क्रमांक	मेक	मॉडल	घरोहर राशि रुपये (वाहन की न्यूनतम ऑफसेट वेल्यू के बराबर)
1.	एमपी-04 सीसी-0861	टाटा इंडिका	2008	रुपये 45,000/-

उपरोक्त वाहन म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल में किसी भी कार्यालयीन दिवस में सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक देखे जा सकते हैं।

1. निविदा फार्म विज्ञप्ति प्रसारित होने की दिनांक से रुपये 1000/- मात्र नगद/बैंक ड्राफ्ट द्वारा जो कि क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल को देय हो जमा कर कार्यालयीन दिवस में 08-03-2018 तक अपरान्ह 1:00 बजे तक लेखा शाखा से प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा फार्म की मूल्य राशि किसी भी रूप में वापिस नहीं की जावेगी।
2. निविदा की विस्तृत शर्तें निविदा पत्र के साथ संलग्न हैं एवं बोर्ड की वेबसाइट www.mppcb.nic.in पर भी देख सकते हैं।

(डॉ० पुष्पेन्द्र सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल (म.प्र.)।



क्षेत्रीय कार्यालय
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016
Phone No. 0755-2466392 , Website - www.mppcb.nic.in

निविदा क्रमांक 2018 भोपाल, दिनांक / / 2018

// निविदा प्रपत्र //

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल (म.प्र.)।

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल द्वारा दिनांकको नीलाम किये जाने वाले वाहनों में से (वाहन का नाम) मॉडल वर्षके लिये निविदा प्रस्तुत करता हूँ। विवरण निम्नानुसार है :-

1.	नाम	
2.	पिता का नाम	
3.	स्थायी पता	
4.	अस्थायी पता	
5.	वाहन क्रमांक जिसके लिये निविदा किया जा रहा है।	
6.	निविदा राशि अंको में	
	शब्दों में	
7.	डी.डी. क्रमांक	दिनांक
		बैंक का नाम

मैं प्रमाणित करता हूँ कि :-

- उपरोक्त जानकारी सत्य है किसी भी गलत जानकारी के लिये मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा।
- नीलामी के समय यदि मेरी निविदा स्वीकृति होती है तो आदेश पत्र प्राप्ति के 10 दिन के अंदर निविदा राशि का पूरा भुगतान करूँगा तथा पूर्ण राशि जमा करने के पश्चात वाहन अपने कब्जे में लूँगा।
- विक्रय हेतु आदेश जारी होने के दिनांक से 10 दिन के अंदर भुगतान न करने की दशा में मेरी धरोहर राशि (न्यूनतम ऑफसेट वेल्यू) जप्त समझी जावे।
- निविदा स्वीकृति/अस्वीकृति करने का पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल का होगा जो कि मुझे मान्य होगा।

(निविदाकर्ता के हस्ताक्षर)

नाम :-

- गवाह : नाम
पता
- गवाह : नाम
पता

निविदा की शर्तें :

1. इस कार्यालय में दिनांक 12-03-2018 को अपरान्ह 2:00 बजे तक सीलबंद लिफाफे में निविदायें स्वीकार की जावेंगी एवं उसी दिन सांय 3:00 बजे निविदाकर्ता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष निविदायें खोली जावेंगी।
2. निविदा लिफाफे के ऊपर वाहन का पंजीयन क्रमांक एवं उसका मेक स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिये।
3. प्रत्येक निविदा के साथ धरोहर राशि (वाहन के न्यूनतम ऑफसेट वेल्यू के बराबर) के बराबर का डिमांड ड्राफ्ट निविदाकर्ता को क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल के नाम प्रस्तुत करना होगा। धरोहर राशि (न्यूनतम ऑफसेट वेल्यू) का डिमांड ड्राफ्ट अलग से पृथक-पृथक बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा। नियमानुसार उक्त राशि प्राप्त होने के उपरांत ही निविदा फार्म (लिफाफा) खोला जावेगा। धरोहर राशि (न्यूनतम ऑफसेट वेल्यू) के बिना प्राप्त निविदा लिफाफा नहीं खोला जावेगा एवं किसी भी तरह का विचार नहीं किया जावेगा।
अ. वाहन क्रमांक एमपी-04 सीसी-0861की न्यूनतम ऑफसेट प्राईज राशि रूपये 45000/-
4. एक निविदा फार्म में एक ही गाड़ी के लिये निविदा स्वीकार की जावेगी।
5. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत अथवा पूर्णतः अमान्य करने का पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल को होगा एवं उपरोक्त संबंध में उनका निर्णय अंतिम माना जावेगा।
6. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात वाहन की पूर्ण राशि जमा करते समय धरोहर राशि (न्यूनतम ऑफसेट वेल्यू) का समायोजन किया जावेगा। ऑफर स्वीकार होने की पूर्ण रकम का भुगतान आदेश पत्र प्राप्ति के 10 दिन के अंदर करना होगा अन्यथा न्यूनतम ऑफसेट वेल्यू की राशि जब्त कर ली जावेगी।
7. वरीयता क्रम में क्रमांक 1 एवं 2 निविदाकर्ता की धरोहर राशि (न्यूनतम ऑफसेट वेल्यू) को छोड़कर अन्य की धरोहर राशि उसी दिवस वापिस कर दी जावेगी।
8. किसी भी तरह की सशर्त निविदा स्वीकार/ग्राह्य/मान्य नहीं की जावेगी।

(डॉ० पुष्पेन्द्र सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल (म.प्र.)।